

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर-492002


-:: आदेश ::-

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर, 2016

क्रमांक एफ 17-30/2016/नौ/55-4:: राज्य शासन एतद्वारा "रिम्स नर्सिंग कॉलेज, रायपुर" (लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी) को जी.एन.एम नर्सिंग पाठ्यक्रम, कुल 60 सीट्स के साथ प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

1. उक्त संस्थान द्वारा इंडियन नर्सिंग कौंसिल के नियमों/मापदण्डों का पालन किया जायेगा।
2. उक्त संस्थान द्वारा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. उक्त संस्थान द्वारा छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार नर्सिंग कौंसिल, रायपुर से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(सुनील विजयवर्गीय)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2016

क्रमांक एफ 17-30/2016/नौ/55-4,
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 2 निज सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.) को आपके पत्र क्रमांक 14889/प्रोजेक्ट/संचिशि/2016 दिनांक 29.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 सचिव, इंडियन नर्सिंग कौंसिल, NBCC, प्लॉट नं.-2, कम्युनिटी सेंटर, ओखला, फेस-1, नई दिल्ली।
- 5 रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भानसोज, रायपुर छ.ग.।
- 7 आदेश फोल्डर हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर-492002


--: आदेश ::--

नया रायपुर, दिनांक ३¹ नवम्बर, 2016

क्रमांक एफ 17-31/2016/नौ/55-4:: राज्य शासन एतद्वारा "रिम्स नर्सिंग कॉलेज, रायपुर" (लार्ड बुद्धा एजुकेशनल सोसायटी) को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम, कुल 60 सीट्स के साथ प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

1. उक्त संस्थान द्वारा इंडियन नर्सिंग कौंसिल के नियमों/मापदण्डों का पालन किया जायेगा।
2. उक्त संस्थान द्वारा केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. उक्त संस्थान द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर से संबद्धता प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार


(सुनील विजयवर्गीय)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 17-31/2016/नौ/55-4,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक ३६ नवम्बर 2016

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 2 निज सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
- 3 संचालक, चिकित्सा शिक्षा, रायपुर (छ.ग.) को आपके पत्र क्रमांक 14891/प्रोजेक्ट/संचिशि/2016 दिनांक 29.11.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 सचिव, इंडियन नर्सिंग कौंसिल, कोटला रोड, नई दिल्ली
- 5 कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर (छ.ग.) (पूर्व में आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
- 6 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, भानसोज, रायपुर छ.ग.।
- 7 आदेश फोल्डर हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग